

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, धौद जिला - सीकर

शुरेन्द्र सिंह बनाम खेताराम
 किस्म मुकदमा पु.नं. 47 वर्ष 2020
 दावा

दिनांक	आज्ञा - पुत्र	
17/03/26	पत्रावली पेश हुई नकील उमयपस उपर। पत्रावली वास्ते 5000 रु की कोर्ट पर लाहम हेतु क्वॉरंटेन पुनः नकील प्रति. का अंतिम अवसर दिया जाऊड डिठ 24 ⁰² / ₂₆ का पेश हो।	शुरेन्द्र सिंह मन्त्री
24/3/26	पत्रावली पेश हुई वकील कम्म (अ) प्रकृते कम्म के पदपत्रिय उद्देश्य केरु कि प्रामुखिं लाहम केरु की उमर उमयपस के वकील कल्पिका के मुपल लार्न विषयता जाहते की कला उमयपस की लहमती के बाह्य पर कम्म के उकीरु, पत्रावली वास्ते कियेड डिठ 6/4/26 को पेश हो।	
6/4/26	पत्रावली पेश हुई वकील कम्म उपात्मता कहेड पर मकत केरु लहम पत्रावली का कुवलोकन किन कत! उमयपस की लहमती के बाह्य वकील का हस्तगत वाड न कम्म केरु लार्न विषयता वाकत लीकर किन जाहते किनी नी की किनि पुनः उमयपस की केरु उमर डिठ का लकील जाहतेड उमर हो।	



उपखण्ड अधिकारी
 धौद जिला-सीकर